न्यायालय अति0 जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट चूरू

पीठासीन अधिकारी लोकेश कुमार गौतम (आर.ए.एस)

इस्तगासा संख्या 2017 / 00094 **दायर दिनांक 22.06.2017**

राजस्थान सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक चूरु जिला चूरु (राजस्थान) **–सायल–**

बनाम

रतन सिंह पुत्र सागर सिंह जाति राजपुत उम्र 30 साल निवासी वार्ड नम्बर 03 रावतसर हाल सिद्धमुख पुलिस थाना सिद्धमुख जिला चूरू। **–गैरसायल–**

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 राज. गुण्डा नियन्त्रण अधि0 1975

उपस्थित :–

1. **अभियोजन अधिकारी (पैरोकार राज.) वास्ते सायल**
2. **श्री नरेन्द्र सिहाग, अधिवक्ता वास्ते गैरसायल**

निर्णय **दिनांक : 11.03.2022**

यह इस्तगासा पुलिस अधीक्षक चूरु द्वारा प्रस्तुत होने पर इस न्यायालय में जिला मजिस्ट्रेट चूरु से स्थानान्तरित होकर प्राप्त होने पर दर्ज ऑनलाईन किया गया। इस्तगासा के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है गैरसायल रतन सिंह पुत्र सागर सिंह जाति राजपुत उम्र 30 साल निवासी वार्ड नम्बर 03 रावतसर हाल सिद्धमुख पुलिस थाना सिद्धमुख जिला चूरू का रहने वाला है, जो सट्टा की खाईवाली करने का आदी है। समाज के नव युवकों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। गैरसायल के उक्त कृत्य पर अंकुश लगाया जाना आवश्यक है। गैरसायल के विरूद्ध निम्नांकित मुकदमें दर्ज होकर सजायाब हुआ है :–

क. स.	मुकदमा न0 एवं दिनांक	धारा	नतीजा पुलिस	जे.एफ. नम्बर	नतीजा अदालत
1	19 / 20.01.2016 थाना सिद्धमुख	13 आर.पी.जी.ओ एक्ट	चालान 09.02.2016	35 / 16	सजा 09.02.2016
2.	50 / 14.03.2016 थाना सिद्धमुख	13 आर.पी.जी.ओ एक्ट	चालान 09.05.2016	59 / 16	सजा 09.05.2016
3.	98 / 19.05.2016 थाना सिद्धमुख	13 आर.पी.जी.ओ एक्ट	चालान 10.06.2016	99 / 16	सजा 10.06.2016

अतः इस्तगासा विरुद्ध रतन सिंह पुत्र सागर सिंह जाति राजपुत उम्र 30 साल निवासी वार्ड नम्बर 03 रावतसर हाल सिद्धमुख पुलिस थाना सिद्धमुख जिला चूरू को धारा 3(3) राज0 गुण्डा नियन्त्रण 1975 के अन्तर्गत कार्यवाही फरमाने का आदेश फरमावें।

गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। तामिल होने के उपरान्त गैरसायल की ओर से अधिवक्ता नरेन्द्र सिहाग हाजिर आये। गैरसायल अधिवक्ता की ओर से दिनांक 06.01.2020 को जवाब पेश किया गया। अधिवक्ता ने जवाब में अंकित किया कि गैरसायल के विरूद्ध की गई कार्यवाही कानून के खिलाफ है। प्रार्थी बाल बच्चेदार सामाजिक प्रतिष्ठा वाला संस्कारित व्यक्ति है। प्रार्थी के खिलाफ किये गये प्रकरणों से भी प्रार्थी का कोई लेना देना नहीं था परन्तु पुलिस द्वारा मात्र टारगेट पूर्ण करने हेतु प्रकरण दर्ज कर जुर्म इकबाल के जरिये निस्तारित करवाये गये है। प्रार्थी आईन्दा किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं करेगा तथा माननीय न्यायालय के हर आदेश की पालना करेगा। प्रार्थी पारिवारिक पृष्ठ भूमि का संस्कारित परिवार से

ताल्लुक रखने वाला इंसान है तथा सामाजिक गतिविधियों का सक्रिय हिस्सा है। प्रार्थी के विरूद्ध दर्ज प्रकरण गम्भीर प्रकृति के अपराध के प्रकरण नहीं है तथा ना ही प्रार्थी आपराधिक प्रकृति का व्यक्ति है। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थी/गैरसायल के खिलाफ चल रही कार्यवाही इसी स्टेज पर ड्रोप फरमाई जावे तथा प्रार्थी के साथ मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाये।

पैरोकार राज अभियोजन अधिकारी चूरू ने उपस्थित होकर अपनी बहस में कहा कि इस्तगासे के अनुसार गैरसायल के विरूद्ध 03 बार, 13 RPGO के अन्तर्गत दोष प्रमाणित है। गैरसायल अन्तर्गत धारा 3(3) राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 की परिभाषा में आता है। गैर सायल अपराधी गतिविधियों में भाग लेता है इसलिए गैरसायल को जिले से बाहर निष्कासित किया जावें ताकि समाज में शांति व्यवस्था कायम रह सके।

गैरसायल अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कहा कि प्रार्थी बाल बच्चेदार सामाजिक प्रतिष्ठा वाला संस्कारित व्यक्ति है। प्रार्थी के खिलाफ किये गये प्रकरणों से भी प्रार्थी का कोई लेना देना नहीं था परन्तु पुलिस द्वारा मात्र टारगेट पूर्ण करने हेतु प्रकरण दर्ज कर जुर्म इकबाल के जरिये निस्तारित करवाये गये है। प्रार्थी आईन्दा किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं करेगा तथा माननीय न्यायालय के हर आदेश की पालना करेगा।

पैरोकार राज अभियोजन अधिकारी चूरू व गैरसायल अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का भली–भान्ति अवलोकन किया गया। इस्तगासे के अनुसार गैरसायल के विरूद्ध 03 मुकदमें 13 आर.पी.जी.ओ. में दिनांक 20.01.2016, 14.03.2016 व 19.05.2016 के अनुसार प्रमाणित है। इस प्रकार राजस्थान गुण्डा एक्ट नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा (3)(3) के अन्तर्गत गैरसायल गुण्डा की परिधि में आता है।

उपर्युक्त विवेचना के परिपेक्ष्य में पुलिस अधीक्षक चूरु द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा धारा 3 राजस्थान गुण्डा एक्ट नियन्त्रण अधिनियम, 1975 विरूद्ध गैरसायल रतन सिंह पुत्र सागर सिंह जाति राजपुत उम्र 30 साल निवासी वार्ड नम्बर 03 रावतसर हाल सिद्धमुख पुलिस थाना सिद्धमुख जिला चूरू स्वीकार किया जाता है तथा गैरसायल रतन सिंह पुत्र सागर सिंह जाति राजपुत उम्र 30 साल निवासी वार्ड नम्बर 03 रावतसर हाल सिद्धमुख पुलिस थाना सिद्धमुख जिला चूरू को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत 15 दिवस के लिए थाना क्षेत्र से बाहर निर्वासित किया जाता है। थानाधिकारी पुलिस थाना सिद्धमुख गैरसायल रतन सिंह को थानाधिकारी राजगढ़ थाना को सुपुर्द करेंगे जो कि थानाधिकारी पुलिस थाना राजगढ़ की देखरेख में 15 दिवस के लिए रहेगा एवं प्रत्येक सोमवार को थानाधिकारी थाना 15 दिवस में हाजरी देने हेतु उपस्थित होगा। निर्णय की प्रति पालना हेतु थानाधिकारी पुलिस थाना राजगढ़ व थानाधिकारी पुलिस थाना सिद्धमुख तथा पुलिस अधीक्षक चूरु को भेजी जावें। पत्रावली बाद कार्यवाही अभिलेखागार भिजवायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 11.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोकेश कुमार गौतम)
अति0 जिला कलक्टर एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, चूरू

अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू